न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर..ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 018/2017

1. निरबेर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. नायब सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मेजर सिंह (मृतक) पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.1 श्रीमती कर्मजीत कौर पुत्री श्री मेजरसिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जट सिख निवासी चक महाराजका तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

2.2 श्रीमती जसप्रीत कौर (मृतक) पुत्री श्री मेजर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.2.1 सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसप्रीत कौर पुत्री श्री मेजर सिंह पुत्र श्री धर्म सिुंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.2.2 सन्तवीर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसप्रीत कोर पुत्री श्री मेजरसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील सादूलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

2.2.3 सुखविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्रीमती जसप्रीत कोर पुत्री श्री मेजर सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.3 गुरदेवसिंह (मृतक) पुत्र स्व. श्री मेजरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील सादूलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

2.3.1 श्रीमती मनदीप कौर पत्नी स्व. गुरदेव सिंह पुत्र स्व. मेजरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जट सिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.3.2 गुरविन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह पुत्र स्व. मेजरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जट सिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2.4 श्रीमती सुखप्रीत कौर पुत्री स्व. मेजरसिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जट सख्यि निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. बख्तावर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जट सिख्या निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार (राजस्व) सादूलशहर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री नरेश गाबा अधिवक्ता वादी
2. श्री विजय कुमार चावला अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.06.2018

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से वाके चक 2 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 45 पुराना 34 के मुरब्बा नम्बर 39 व 61 में कुल तादादी 6.389 हैक्टर नहरी व 2.227 हैक्टर बारानी कुल 8.666 हैक्टर नहरी/बारनी यानि 34–10 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एवं इसी प्रकार से चक 10 बी.जी. एस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 की 3.822 हैक्टर नहरी व 0.075 हैक्टर खाला कुल 4.175 हैक्टर नहरी/खाला यानि 16–10 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से चक 2 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर व चक 10 बी.जी.एस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में कुल तादादी 12.841 हैक्टर नहरी/खाला यानि 51–00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 द्वारा घरू बंटवारा निम्नानुसार किया हुआ है तथा बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे हैं।

(क) वादी का रकबा :– चक 2 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 39 का किला नम्बर 2, 9, 12, 19 व 22 की 2–02 बीघा, किला नम्बर 3, 8, 13, 18, व 23 की 2–18 बीघा कुल 5–00 बीघा व चक 10 बी.जी.एस. भागसर का मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 से 8 की 8–00 बीघा, किला नमबर 9 में 0–05 बीघा कुल 8–05 बीघा इस प्रकार कुल 13–05 बीघा रकबा नहरी रकबा मय खाला रास्ता।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 का रकबा :– चक 2 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 39 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 2–02 बीघा रकबा, किला नम्बर 2, 9, 12, 19 व 22 में 2–18 बीघा कुल 5 बीघा व चक 10 बी.जी.एस. भागसर का मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 9 में 0–15 बीघा, व किला नम्बर 10 से 16 की 7–00 बीघा व किला नम्बर 17 की 0–10 बीघा कुल 8–05 बीघा इस प्रकार कुल 13–05 बीघा रकबा नहरी रकबा मय खाला रास्ता।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 का रकबा :– चक 2 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 4 से 7 की 4 बीघा, किला नम्बर 13 की 0–10 बीघा, किला नम्बर 14 से 25 की 8 बीघा कुल 12–10 बीघा मय खाला रास्ता।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 का रकबा :– चक 2 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 39 का किला नम्बर 3, 8, 13, 18 व 23 में 2–02 बीघा रकबा, किला नम्बर 4, 7, 14, 17 व 24 के 5 बीघा रकबा व किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 के 4–18 बीघा रकबा कुल 12 बीघा रकबा नहरी रकबा मय खाला रास्ता।

इस प्रकार वादी उक्त कृषि भूमि में सहकाश्तकार है तथा आराजी के खाता का विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मन में लालच आ गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाने से इन्कार कर रहे हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से कई बार निवेदन किया लेकिन उसके द्वारा टालमटोल करते हुए दिनांक 22.09.2016 को साफ इन्कार हो गये है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 (क) से (घ) में अंकित तथ्यों के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वादी को अलग खातेदार घोषित किया जावे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलावाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से दिनांक 14.06.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के जवाब दावा अनुसार अगर वाद पत्र की चरण संख्या 4 (क से घ) में अंकित तथ्यों के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अलग खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। दिनांक 14.06.2017 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई जिसके कथनानुसार प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र को स्वीकार कर लिया है तथा लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 (क) से 3(ग) में वर्णितानुसार वाद पत्र डिक्री किया जावे।

दिनांक 01.08.2017 को पैरोकार राज हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसमें कथन किया कि वाद वादी स्वयं प्रतिवादीगण के मध्य का है। प्रतिवादी पैरोकार राज से कोई विस्तृत जवाब नहीं चाहा गया है। फिर भी राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए निर्णय आदेश पारित किये जाते हैं तो पैरोकार राज को काई आपत्ति नहीं होगी। दिनांक 20.09.2017 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मेजर सिंह की मृत्यु 12.06.2017 को होने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया एवं निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा ऐतराज नहीं होने पर दरख्वास्त को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया एवं वारिसान को जरिए सम्मन तलब किया गया।

सहमति जवाबदावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी नहीं बननी पाई गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में वादी निरबेर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करना चाहा। दिनांक 03.01.2018 को पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं होगा।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोन वाद वादी स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर व तहसीलदार सादुलशहर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जानें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्र क्रमांक भू.अ./2018/3478 दिनांक 29.05.2018 तथा तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./2018/1541 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये।

विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कथन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भूमि का विभाजन किया जाता है, तो उभयपक्ष को कोई एतराज नहीं है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया तहसीलदार श्रीगंगानगर व तहसीलदार सादुलशहर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवम् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. वादी निरबेर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर	45/34	39	2/2 का 0.107, 3/1 का 0.146, 8/2 का 0.147, 9/1 का 0.106, 12/2 का 0.107, 13/1 का 0.146, 18/2 का 0.147, 19/1 का 0.106, 22/2 का 0.093, 23/1 का 0.147	1.252 हैक्टर
10 बी.जी.एस. तहसील सादुलशहर	36/34	50	1 ता 8 की 2.024, 9/.063	2.087 हैक्टर
				कुल भूमि :— 3.139 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 नायब सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर	45/34	39	1/2 का 0.107, 2/1 का 0.146, 9/2 का 0.147, 10/2 का 0.106, 11/2 का 0.107, 12/1 का 0.146, 19/2 का 0.147, 20/2 का 0.106, 21/2 का 0.093, 22/1 का 0.147	1.252 हैक्टर
10 बी.जी.एस. तहसील सादुलशहर	36/34	50	9/.190, 10 ता 16 की 1.771, 17/2 का 0.127	2.088 हैक्टर
				कुल भूमि :— 3.140 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2.1 कर्मजीतकौर व प्रतिवादी संख्या 2.4 सुखप्रीतकौर 1/2 बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 2.2.1 सुखदेवसिंह प्रतिवादी संख्या 2.2.2 सन्तवीरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2.2.3 सुखविन्द्र कौर 1/4 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 2.3.1 मनदीपकौर, तथा प्रतिवादी संख्या 2.3.2 गुरविन्द्र सिंह का 1/4 बहिस्सा बराबर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर	45/34	39	4 ता 7, 14 ता 18 की 2.277, 23 ता 25 की 0.759, 13/2 की 0.127	3.163 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 5

4. प्रतिवादी संख्या 3 बख्तावर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जट सिख्या निवासी चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर	45/34	39	3/2 का 0.107, 4 ता 7/1.012, 8/1 का 0.106, 13/2 का 0.107, 14 ता 17/1.012, 18/1 का 0.106, 23/2 का 0.093, 24/0.228, 25/.228	2.999 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर व सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत कोनी के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर